

**ग्राम पंचायत थानाकलां, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के लेखों का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन**

अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

भाग-1

1 (क) प्रस्तावना :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत थानाकलां, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती सरोज देवी	01.04.2024 से 31.03.2025 तक

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती मधु बाला	01.04.2024 से 31.03.2025 तक

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत थानाकलां के लेखों अवधि 01.04.24 से 31.03.25 तक के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1)	4.2	रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण आये अन्तर बारे।	0.10
2)	6.1	अनुदान उपयोग हेतु शेष।	16.49

3)	7.1	पंचायत राजस्व गृहकर की वसूली शेष।	0.79
4)	8.1	खनन सामग्री के समर्थन में ट्रांजिट पास फॉर्म प्राप्त किए बिना अनियमित भुगतान करना।	1.13
5)	9	योग / गणना में त्रुटी के कारण अधिक भुगतान करने बारे।	0.11

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:-

1) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2013 से 03/2016 तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या		
1.	पैरा-8	अनिर्णीत।	
2.	पैरा-10	अनिर्णीत।	
3.	पैरा-11	अनिर्णीत।	
4.	पैरा-12	अनिर्णीत।	
5.	पैरा-13	अनिर्णीत।	
6.	पैरा-14	अनिर्णीत।	
7.	पैरा-15	अनिर्णीत।	
8.	पैरा-16	अनिर्णीत।	
9.	पैरा-17	अनिर्णीत।	
10.	पैरा-18	अनिर्णीत।	

2) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2020 से 03/2022 तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या		
1.	पैरा-6.2	अनिर्णीत।	
2.	पैरा-6.3	अनिर्णीत।	
3.	पैरा-8.1	अनिर्णीत।	
4.	पैरा-8.2	अनिर्णीत।	
5.	पैरा-8.3	अनिर्णीत।	
6.	पैरा-9.4	अनिर्णीत।	
7.	पैरा-10.4	अनिर्णीत।	
8.	पैरा-10.5	अनिर्णीत।	

3) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2022 से 03/2023 तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या		
1.	पैरा-3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क ₹4800 की वसूली बैंक ड्राफ्ट संख्या KAA 310684 दिनांक 29.01.2024 द्वारा कर ली गई है)
2.	पैरा-4 (क, ख, ग व घ)	अनिर्णीत	
3.	पैरा-5	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 5 में पुनः प्रारूपित
4.	पैरा-6.1	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 6.1 में पुनः प्रारूपित
5.	पैरा-6.2	अनिर्णीत	
6.	पैरा-6.3	अनिर्णीत	
7.	पैरा-7.1 (क)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 7.1 में पुनः प्रारूपित
8.	पैरा-7.1 (ख)	अनिर्णीत	
9.	पैरा-7.2	अनिर्णीत	
10.	पैरा-7.3	अनिर्णीत	
11.	पैरा-8	अनिर्णीत	
12.	पैरा-9	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 10 में पुनः प्रारूपित
13.	पैरा-10	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 11 में पुनः प्रारूपित

भाग-2

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत थानाकलां, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री देव राज, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 22.09.2025 से 01/10/2025 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया | आय व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2024-25	11/2024	11/2024

अस्वीकरण :- "इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। "

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत थानाकलां, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹5600** आंका गया। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या 649/2025 दिनांक 01/10/2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत द्वारा काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित थानाकलां के बैंक ड्राफ्ट संख्या KAA 310715 दिनांक 09/10/2025 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया।

4.1 (क) वित्तीय स्थिति:-

सचिव, ग्राम पंचायत थानाकलां द्वारा अंकेक्षण अध्याचना संख्या 626/2025 दिनांक 26/09/2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 04/24 से 03/25 तक के लेखों की **संकलित वित्तीय स्थिति** निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तृत विवरण **सलग्न परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान चार रोकड़ बहियों अर्थात् स्वः स्त्रोत व अनुदान (14वां व 15वां वित्तायोग सहित समेकित रोकड़ बही) Online, स्वच्छ भारत मिशन (PFMS) Online, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 (PFMS) Online व मनरेगा (online) का रख-रखाव किया गया था।

संकलित वित्तीय स्थिति (15वां वित्तायोग सहित समेकित)						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (₹) (3+4)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (₹) (5-6)
1	2024-25	4510903.7	9046495.21	13557398.91	8629364.21	4928034.7

नोट:- 14वें व 15वें वित्तायोग शीर्ष के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक का अंकेक्षण, ऑडिट ऑनलाइन पोर्टल (auditonline.gov.in) के माध्यम से किया गया है, जिससे सम्बन्धित अंकेक्षण आपत्तियां भी ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज की जा चुकी है।

(ख) बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत थानाकलां के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31.03.25 को निम्नानुसार रोकड़ बही तथा बैंक खातों में ₹4879.85 का अन्तर था :-

1)	दिनांक 31.03.25 को रोकड़ बही खाता पैरा 4.1(क) का अंतशेष	4928034.70
2)	दिनांक 31.03.25 को बैंक का अन्तशेष (परिशिष्ट क-1 अनुसार)	4932046.55
3)	दिनांक 31.03.25 को हस्तगत राशि	868.00
4)	योग (2+3)	4932914.55
5)	अन्तर (4-1)	4879.85
रोकड़ बहियों व बैंक शेष अनुसार अन्तर		
स्व: स्त्रोत व अनुदान (14वें व 15वें वित्तायोग शीर्ष के अतिरिक्त (समेकित) रोकड़ बही व बैंक शेष में दिनांक 31.03.2025 को अन्तर		9794.15
15वें वित्तायोग शीर्ष की रोकड़ बही व बैंक शेष में दिनांक 31.03.2025 को अन्तर		0.00
14वें वित्तायोग शीर्ष की रोकड़ बही व बैंक शेष में दिनांक 31.03.2025 को अन्तर		15.00
प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.00 (अंशदान) शीर्ष के खाता संख्या 50075499066 से सम्बन्धित रोकड़ बही का संधारण ई- ग्राम स्वराज पर नहीं किया था, जिसमें दिनांक 31.03.2025 को अन्तशेष था		14689.00
कुल अन्तर (14689-9794.15-15)		4879.85

4.2 रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण ₹0.10 लाख का अन्तर पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायत की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान

करना अनिवार्य है। जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.25 को **निम्न विवरणानुसार** शीर्षों की रोकड़ बहियों एवं बैंक के अंतिम शेष में **₹9794.15** का अन्तर पाया गया। अतः इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 629/2025 दिनांक 26/09/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 261 दिनांक 01/10/2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त अंतर की राशि के कारणों बारे अभिलेख से पड़ताल करने उपरांत आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा। अतः उक्त अंतर की राशि के कारणों बारे अभिलेख से पड़ताल करने उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

1	2	3	4	5
क्रम संख्या	रोकड़ बही का नाम	दिनांक 31.03.2025 को ऑनलाइन रोकड़ बही का अन्तशेष	दिनांक 31.03.2025 को बैंक व हस्तगत शेष का योग	अन्तर (3-4)
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (14वें व 15वां वित्तायोग शीर्ष के अतिरिक्त समेकित)	16,49,389.10	1639594.95	9794.15

4.3 स्व: स्त्रोत निधि के लिए स्वतंत्र खाते का संचालन न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) की अनुपालना में पंचायत निधियों के लिए स्वतंत्र खाता "क" (स्व: स्त्रोतों के लेन देन हेतु) खोला जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि स्व: स्त्रोत / सामान्य निधि व अन्य निधियों का संचालन एक ही बैंक खाते द्वारा किया जा रहा है। अतः खाता "क" के लिए स्वतंत्र रूप से बैंक खाते के साथ रोकड़ बही का संचालन न किए जाने के कारण पंचायत की स्व: स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति को अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाया जाना सम्भव नहीं हो सका।

5 सावधिक निवेश :-

अंकेक्षण अध्याचना संख्या 626/2025 दिनांक 26/09/2025 की अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 259 दिनांक 01/10/2025 द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पंचायत का अवधि 04/24 से 03/25 तक सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था। अतः पंचायत

सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बहियों का अलग-अलग रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

6 अनुदान

6.1 अनुदान ₹16.49 लाख उपयोग हेतु शेष :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अध्याचना संख्या 626/2025 दिनांक 26/09/2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना जोकि [परिशिष्ट क] पर सलग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2025 तक अनुदान (14वें व 15वें वित्तायोग शीर्ष के अतिरिक्त) में स्वः स्त्रोत सहित प्राप्त राशियों में ₹1649389.10 की राशि उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यो हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय करना अपेक्षित है। अतः उक्त वर्णित अनुपयुक्त अनुदान राशियों को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान, व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 626/2025 दिनांक 26/09/2025 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 259 दिनांक 01/10/2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना शीघ्र अंकेक्षण को दिखाई जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु जिम्मेवार होगा। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 626/2025 दिनांक 26/09/2025 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 259 दिनांक 01/10/2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है। यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अतः अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे। अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

स्वयं स्तौत

7.1 पंचायत राजस्व ₹0.79 लाख की वसूली हेतु शेष :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर / गृहकर की वसूली करना अपेक्षित था। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 626/2025 दिनांक 26/09/2025 के क्रम संख्या 4 के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 259 दिनांक 01/10/2025 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2025 तक पंचायत राजस्व गृहकर की राशि **₹78554.00 (परिशिष्ट ख अनुसार)** वसूली हेतु शेष थी :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2024-25	65114	13440	78554	0	78554

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.05 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200 प्रति पंजीकरण तथा देरी के लिए दुगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त किया जाना निर्धारित है, जिसे समय-समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **₹4600.00 सलग्र परिशिष्ट "ग" अनुसार** वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण नीचे भी दिया गया है :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)
1	2024-25	4600

अतः इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 631/2025 दिनांक 26/09/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 261 दिनांक 01/10/2025 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

7.3 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹400.00 की कम वसूली करना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **₹200** प्रति पंजीकरण तथा देरी के लिए दुगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय-समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान **सलग्र**

परिशिष्ट "ग" में वर्णित मामलों में विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निर्धारित दरों से ₹400.00 की कम वसूली की गई थी :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली हेतु शेष राशि (₹)
1	2024-25	400

अतः इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या संख्या 632/2025 दिनांक 26/09/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 261 दिनांक 01/10/2025 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में कम वसूल की गई राशि की वसूली रसीद संख्या 7319-20 दिनांक 29.09.25 द्वारा सम्बन्धित से करके बैंक में जमा करवा दी गई है, जिसे राजकीय कोष के मद 0070-60-108-01 में जमा करवा दिया जाएगा व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूल की गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

8.1 खनन सामग्री के समर्थन में ट्रांजिट पास फॉर्म प्राप्त किए बिना ₹1.13 लाख का अनियमित भुगतान:-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा। परन्तु निदेशक, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स ई.एन. (आर.डी.एवं पी. आर.)-डी.बी. जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हि०प्र० के आदेशों की अनुपालना में अब ठेकेदार / विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी कि कटौती नहीं की जाएगी तथा भुगतान उनके द्वारा फार्म 'एक्स' या 'डब्ल्यू' प्रस्तुत करने पर ही किया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के माह 11/2024 में निम्न विवरणानुसार ₹113105.20 की निर्माण सामग्री रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि के बिलों के

साथ उक्त फार्म सलग्न नहीं थे। अतः इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 633/2025 दिनांक 26/09/2025 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 261 दिनांक 01/10/2025 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण उक्त ट्रांजिट पास फार्म डब्लू या सप्लीमेंटरी पास फार्म एक्स सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता से नहीं लिए गए हैं, जिन्हें भविष्य में नियमानुसार लेकर ही भुगतान किया जाएगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को किया गया सम्पूर्ण भुगतान नियमों के विपरीत एवं अनियमित प्रतीत होता है।

अतः ₹113105.20 के अनियमित भुगतान को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अथवा किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में इस प्रकरण को सम्बंधित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्रम संख्या	योजना	कार्य का नाम	बिल संख्या /दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	राशि
1	MPLAD	C/O Link Road Village Panjain	60 10/10/24	Karan Singh Rajinder Kumar	बजरी	24605.00
2	MPLAD	C/O Link Road Abaadi Panjain	063 27/09/24	AONE Enterprises	बजरी	21150.00
3	MPLAD	C/O Link Road Abaadi Panjain	059 27/09/24	AONE Enterprises	बजरी	16450.00
4	MPLAD	C/O Link Road Village Panjain	136 10/10/24	Jaspal Singh	रेत	30000.00
5	PMKSY 2.0	C/O बावड़ी गाँव बल्ह थानाकलां	073 09/09/24S	AONE Enterprises	बजरी	12337.00
6	PMKSY 2.0	C/O बावड़ी गाँव बल्ह थानाकलां	129 05/05/24	Jaspal Singh	रेत, बजरी	8563.20
					योग	113105.2

8.2 स्रोत पर ₹0.06 लाख की जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना :-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि.प्र. आवकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29056 दिनांक 29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में ₹250000 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. + 1% एस.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2%

आई.जी.एस.टी.-अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में आपूर्तिकर्ताओं को सामग्री की आपूर्ति के लिए परिशिष्ट "घ" पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार ₹306882.70 (जी.एस.टी. को छोड़कर) भुगतान किया गया था। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा स्त्रोत पर ₹6138.00 की 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित प्रक्रिया है।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	फर्म / व्यक्ति का नाम	क्रय सामान का विवरण	राशि	योग	जी.एस.टी.टी.डी.एस. की कटौती योग्य राशि (2%)
1	2024-25	Jaspal Singh vpo thanakalan	रेत, बजरी	306882.70	306882.70	6138.00
				योग	306882.70	6138.00

अतः इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 648/2025 दिनांक 01/10/2025 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 261 दिनांक 01/10/2025 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित ₹6138.00 जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती बिलों में से नहीं की गई है, जिसे भविष्य में नियमानुसार काटा जाएगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः जी.एस.टी.टी.डी.एस. की कटौती न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अपेक्षित राशि की वसूली सम्बन्धित फर्मों / व्यक्तियों से करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

9 योग / गणना में त्रुटी के कारण ₹0.11 लाख का अधिक भुगतान करने बारे :-

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 के चयनित माह 11/2024 में व्यय वाउचरों की जाँच दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्नानुसार स्वः स्त्रोत व अनुदान (समेकित) शीर्ष से गणना में त्रुटी के कारण ₹10800.00 का अधिक भुगतान श्री नरेश वेल्डिंग वर्क्स गांव ककराना को किया गया था।

क्रम संख्या	बिल संख्या	दिनांक	भुगतान योग्य राशि(₹)	भुगतान की गई राशि (₹)	अधिक भुगतान की गई राशि (₹)
1	228	24.10.2024	37800	48600	10800
				योग	10800

उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अध्याचना संख्या 634/2025 दिनांक 26/09/2025 के अन्तर्गत सचिव ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया। प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 261 दिनांक 01/10/2025 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि **₹10800.00** की वसूली सम्बन्धित से रसीद संख्या 7317 दिनांक 29.09.25 द्वारा कर ली गई है। जिसकी जमा बारे पुष्टि बैंक पासबुक से कर ली गई है।

10 विहित रजिस्ट्रों का रख-रखाव न करना:-

अंकेक्षण अध्याचना संख्या 627/2025 दिनांक 26/09/2025 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न रजिस्ट्रों / अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत बनाया जाना वांछित था। प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या 260 दिनांक 01/10/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्ट्रों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है। यह अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्ट्रों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

क्रम संख्या	रजिस्टर / अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	बजट प्राकलन	11	37
4	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
5	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(1)
6	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
7	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
8	बैंक समाधान विवरणी	--	7 (3) व 10 (1)
9	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103
10	बिल रजिस्टर	13	48
11	रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर	4	5(5)
12	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)

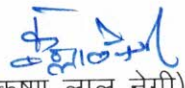
11 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

अंकेक्षण अध्याचना संख्या 626/2025 दिनांक 26/09/2025 के क्रम संख्या 7 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या 259 दिनांक 01/10/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 लघु आपत्ति विवरणिका:- इसे अलग से जारी नहीं किया गया है।

13 निष्कर्ष:- लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

17 NOV 2025


(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला-171009
दूरभाष-0177-2626670

7067-7071

पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(5)2/2016-खण्ड-1 दिनांक, शिमला-09,

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला-4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
- 3 जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0।
- 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना (हि0प्र0)।
- 5 सचिव, ग्राम पंचायत थानाकलां विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

पंजीकृत

17 NOV 2025

का०/उ०


(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला-171009

परिशिष्ट "क"

पैरा संख्या 4.1 (क) में संदर्भित

ग्राम पंचायत थानाकलां, विकास खण्ड बंगाणा व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक की संकलित वित्तीय स्थिति (1+2+3+4)

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	4510903.7	9046495.21	13557398.91	8629364.21	4928034.7



PRADHAN
GRAM - PANCHAYAT
DEV. BL. 23 BAGAANA, UNA, H.P.

(Signature)

(Signature)

ग्राम पंचायत थानाकलां, विकास खण्ड बंगाणा व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

1) स्वयं स्वीकृत व अनुदान 14वां व 15वां वित्तायोग सहित (समीकृत) Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	4510903.7	3127945.5	7638849.2	2710814.5	4928034.7

1 (a) स्वयं स्वीकृत व अनुदान 14वां व 15वां वित्तायोग के अतिरिक्त (समीकृत) Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	2311427.1	10,49,402.50	3360829.6	17,11,440.50	1649389.1

1 (b) 14वां वित्तायोग Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	29251	149	29400	29,370	30

1 (c) 15वां वित्तायोग Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	2170225.6	20,78,394	4248619.6	9,70,004	3278615.6



PRADHAN
GRAM PANCHAYAT THANA KALA
DEV. BL. BANGANA, UNA, H.P.

(Signature)

(Signature)

2) मनरेगा (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	0	4766748.71	4766748.71	4766748.71	0

3) स्वच्छ भारत मिशन (PFMS) (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	0	201750	201750	201750	0

4) प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 (PFMS) (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	0	950051	950051	950051	0


 PRADHAN MANTRI KRISHI SANCHAI YANAYANA
 GRAM SAMITHI, JALPAIGURI, JALPAIGURI, JALPAIGURI
 DEV. BL. NO. 1, JALPAIGURI, JALPAIGURI, JALPAIGURI
 751005

48-

17

1)	दिनांक 31.03.25 को रोकड़ बही खाता पैरा 4.1(क) का अंतशेष	4928034.70
2)	दिनांक 31.03.25 को बैंक का अन्तशेष (परिशिष्ट क-1 अनुसार)	4932046.55
3)	दिनांक 31.03.25 को हस्तगत राशि	868.00
4)	योग (2+3)	4932914.55
5)	अन्तर (4-1)	4879.85
रोकड़ बहियों व बैंक शेष अनुसार अंतर		
स्व: स्त्रोत व अनुदान (14वें व 15वें वित्तायोग शीर्ष के अतिरिक्त (समेकित) रोकड़ बही व बैंक शेष में दिनांक 31.03.2025 को अंतर		9794.15
15वें वित्तायोग शीर्ष की रोकड़ बही व बैंक शेष में दिनांक 31.03.2025 को अंतर		0.00
14वें वित्तायोग शीर्ष की रोकड़ बही व बैंक शेष में दिनांक 31.03.2025 को अंतर		15.00
प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.00 (अंशदान) शीर्ष के खाता संख्या 50075499066 से सम्बन्धित रोकड़ बही का संधारण ई- ग्राम स्वराज पर नहीं किया था, जिसमें दिनांक 31.03.2025 को अन्तशेष था		14689.00
कुल अंतर (14689-9794.15-15)		4879.85



PRADHAN
GRAM PANCHAYAT, DEV. BL. 25, GRAM JANA, UNA, H.P.

— ११ — 18

परिशिष्ट क-1

पैरा संख्या 4.1 (क) के सन्दर्भ में

दिनांक 31.03.25 को बैंक शेषव हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)	टिप्पणी
1	Post Office Bangana	7138654064	2992.00	
	KCCB Thanakalan	20182001358	918092.95	
	KCCB Thanakalan (Planning Head)	20182001369	335102.00	
	PNB Thanakalan MPLADS	1723000100121750	235395.00	
	PNB Thanakalan	1723000100082156	147145.00	
	SBI Bangana (PMKSY 2.0)	00000041164123805	0.00	
	KCCB Thanakalan (PMKSY 2.0 Public share)	50075499066	14689.00	उक्त खाते से सम्बन्धित रोकड़ भी का संधारण ई-ग्राम स्वराज पर नहीं किया जा रहा है।
	PNB Thanakalan (15 th FC)	1723001700030701	3278615.60	
	KCCB Thanakalan 14 th FC	50067133634	15.00	
		योग	4932046.55	
2		हस्तगत राशि (स्वः स्त्रोत व अनुदान)	868.00	
		योग (1+2)	4932914.55	



PRADHAN

GRAM, BANGHAYAT, THANAKALAN
DEV. BL. BANGANA, UNA, H.P.

M.V.

परिशिष्ट "ख"

पैरा संख्या 7.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत थानाकलां, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना हि.प्र.

दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2024-25	65114	13440	78554	0	78554



PRADHAN

GRAM PANCHAYAT THANA KALAN
DEV. BL. BANGANA, UNA, H.P.

W/

- 20 -

वित्तीय वर्ष 2024-25 में विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि का विवरण

क्रम संख्या	नाम	विवाह की तिथि	रसीद संख्या	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	कम वसूली गई राशि
1.	राजेश कुमार	16.04.24	899655	200	200	0
2.	रोहित कुमार	18.04.24	899656	200	200	0
3.	यशपाल	18.04.24	899658	400	400	0
4.	अजय सिंह	23.07.24	899660	200	200	0
5	अमित शर्मा	14.07.24	899668	200	200	0
6.	राहुल ठाकुर	13.08.24	899679	400	400	0
7.	रोहित	20.07.24	899673	400	400	0
8	संदीप कुमार	21.10.24	899682	200	200	0
9	सनी कुमार	03.11.24	899674	200	200	0
10	विशाल राणा	08.11.24	899675	200	200	0
11	मंजीत सिंह	09.11.24	899676	200	200	0
12	शुभम	11.10.24	899677	200	200	0
13	शुभम	22.11.24	899678	200	200	0
14	विजय कुमार	04.11.24	899680	400	200	200
15	दिनेश कुमार	17.01.25	899681	200	200	0
16	भानु बैस	07.02.25	899683	200	200	0
17	विशाल कुमार	30.09.22	899684	400	400	0
18	कुलदीप कुमार	21.02.25	899685	200	200	0
19	राज कुमार	07.02.25	899685	400	200	200
			योग	5000	4600	400

21



PRADHAN

SECY

GRAM PANCHAYAT

DEV. BL. 3, SAMSAJANA, UNA, H.P.

परिशिष्ट घपैरा संख्या 8.2 के संदर्भ में

वित्तीय वर्ष 2024-25 में Jaspal Singh को रेत, बजरी इत्यादि के क्रय हेतु किए गये भुगतान का विवरण

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या	बिल संख्या	दिनांक	राशि (GST को छोड़कर)
1.	15 th FC	10	22 ✓	10/03/24	6320 ✓
2.	15 th FC	11	23 ✓	11/04/24	4010 ✓
3.	15 th FC	21	70 ✓	10/05/24	12065 ✓
4.	15 th FC	22	71 ✓	10/05/24	11780 ✓
5.	15 th FC	40	72 ✓	30/06/24	8750 ✓
6.	15 th FC	43	74 ✓	10/06/24	28643 ✓
7.	15 th FC	43(i)	75 ✓	20/06/24	3000 ✓
8.	15 th FC	46	76 ✓	10/06/24	8263 ✓
9.	VKVNY	55	66 ✓	26/07/24	23846 ✓
10.	15 th FC	74	98 ✓	11/07/24	42500 ✓
11.	15 th FC	78	121 ✓	24/11/24	11250 ✓
12.	MPLAD	87	136 ✓	10/10/24	34900 ✓
13.	MPLAD	123	131 ✓	26/02/25	16000 ✓
14.	MPLAD	123(i)	132 ✓	26/02/25	19425 ✓
15.	MPLAD	123(ii)	133 ✓	26/02/25	15000 ✓
16.	PMKSY 2.0	2	125 ✓	29/06/24	1500 ✓
17.	PMKSY 2.0	2.1	124 ✓	29/06/24	14137.5 ✓
18.	PMKSY 2.0	4	128 ✓	03/04/24	4380 ✓
19.	PMKSY 2.0	4.1	127 ✓	09/09/24	13300 ✓
20.	PMKSY 2.0	11	126 ✓	08/05/24	10000 ✓
21.	PMKSY 2.0	21	129 ✓	05/05/24	9063.20 ✓
22.	PMKSY 2.0	61	130 ✓	11/11/24	8750 ✓
				योग	306882.70 ✓



PRADHAN

GRAM PANCHAYAT JASPAL SINGH
DEV. BL. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949

